

227



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

II निगरानी छतरपुर भू.रा/2017/4987

प्र.कं. /2017 पुनरीक्षण

श्री. मुकेश साग्वि

द्वारा आज दि. 08-12-17

प्रस्तुत

8-12-17

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

फाइल नं. 22-12-17

रामकृपाल सिंह पुत्र बाबूलाल सिंह
निवासी ग्राम घटरा तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर (म.प्र.)

.....आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदक

W3 Noted 22-12-17
मुकेश साग्वि
08-12-17 पडवाकेट
ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा प्रकरण कमांक 315/स्वप्रेरणा निगरानी/04-05 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि -

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि, आ.नं. 1317/1 रकवा 0.262 है. व 360/1 रकवा 0.143 है0 भूमि ग्राम घटरा तहसील गौरिहार में आवेदक की भूमियों के बीचों बीच होने के कारण चक व्यवस्थापन का आवेदन आवेदक ने तहसील न्यायालय गौरिहार के समक्ष प्रस्तुत किया था। तहसील न्यायालय ने प्रकरण कमांक 826/बी-121/02-03 दर्ज कर नियमानुसार इशतहार प्रकाशन कर ग्राम में मुनादी कराकर हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन मंगाकर विधिवत प्रक्रिया का पालन

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4987

रामकृपाल विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 315/स्वप्रेरणा निगरानी/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 10-10-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के.जैन) सदस्य 20/2/2019</p>